

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- प.5 (283) निपेंवि/नियम/2014 1416-70 H

दिनांक:-17-06-2016

कोषाधिकारी (समस्त) राजस्थान

विषय:- पेंशन भुगतान के संबंध में।

संदर्भ:- प्रबंधक S.B.B.J, CPPC, जयपुर का पत्र दिनांक 21.05.2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है, कि पेंशन भुगतान के संबंध में इस विभाग एवं वित्त (नियम) विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के विरुद्ध भी बैंको को जीवनकालीन बकाया, पेंशन एरियर राशि एवं कम्प्यूटेशन की राशि का भुगतान करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

अतः इस संबंध में पुनः निम्नांकित बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट की जाती है:-

1. रा.सि.से (पेंशन) नियम 1996 के नियम-143 एवं 145 के तहत बकाया पेंशन एवं जीवनकालीन पेंशन बकाया का भुगतान कोषालय स्तर पर करना सुनिश्चित करावे।
2. कम्प्यूटेशन पेंशन भुगतान आदेश एवं उपादान भुगतान आदेश की राशि का भुगतान पूर्व की भांति कोष कार्यालय स्तर पर करना सुनिश्चित करावे।

कोष कार्यालय अपनी सीमा में आने वाले पेंशन एरियर व उससे भी अधिक के एरियर राशि के भुगतान हेतु बैंको को बाध्य नहीं करें। इसी प्रकार पेंशनर को प्राप्त होने वाले पेंशनानिवृत्ति लाभों में यथा रूपान्तरण राशि एवं उपादान राशि का भुगतान कोषालय स्तर पर ही करें तथा बैंको को भुगतान हेतु निर्देशित नहीं करें।

भवदीय,

ए

(के.के.गैडियोक)

निदेशक

तिलिपि:-

1. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज. जयपुर
2. प्रबन्धक, S.B.B.J, CPPC, चौड़ा रास्ता, जयपुर
3. पेंशन वितरण हेतु अधिकृत बैंक (समस्त)

निदेशक